संख्या-21/2017/1057/84-1-17-जागरूकता-1/15

प्रेषक,

वेद प्रकाश शर्मा
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नियंत्रक,
विधिक माप विज्ञान विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1 लखनऊ दिनॉक 21 अगस्त, 2017

विषय- भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम के प्रदेश में संचालन हेतु उपलब्ध करायी गयी धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-705/निविमावि-लेखा 7(25)मॉग/2017-18, दिनॉक 17-08-2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम हेतु आदेश संख्या-22(2)/2014 पी0यू0बी0, दिनांक 24 मार्च, 2015 द्वारा धनराशि रू0 85,00,000/-(रूपये पच्चासी लाख मात्र) उपलब्ध करायी गयी थी परन्तु वित्तीय वर्ष 2016-17 में उक्त धनराशि का उपयोग न हो पाने के कारण यह धनराशि आदेश संख्या-242/84-1-17 जागरूकता -1/15, दिनांक 31 मार्च, 2017 द्वारा वित्त विभाग को समर्पित कर दी गयी थी। भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी उक्त धनराशि में से वित्तीय वर्ष 2017-18 में रू0 5,00,000/-(रूपये पॉच लाख मात्र) को निम्न शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल महोदय व्यय करने की स्वीकृति प्रदान करते है -

1- प्रश्नगत धनराशि का उपयोग स्वीकृत मद में वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों/ स्थायी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्राविधानित धनराशि की सीमा के अन्तर्गत किया जायेगा, तथा धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार को यथासमय निर्धारित प्रपत्र में भेजा जायेगा।

2- भारत सरकार के शासनादेश दिनांक 24.03.2015 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा। इससे भिन्न धनराशि का उपयोग अन्य मदों में किया जाना वित्तीय अनियमितता माना जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय हेतु रूपरेखा 03 दिन के अन्दर शासन को उपलब्ध करायेगें।

4- प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 की अनुदान संख्या-21 के लेखाशीर्ष-3475 अन्य समान्य आर्थिक सेवायें-106-भार और माप का विनियमन-05-उपभोक्ताओं के संरक्षण हेतु जन जागरूकता कार्यक्रम-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

5- ये आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनॉक 03 अगस्त, 2017 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(वेद प्रकाश शर्मा)
संयुक्त सचिव।

संख्या-21/2017/1057/84-1-17-जागरूकता-1/15 तददिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान लेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार ((लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- महालेखाकार ((लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4- निदेशक, प्रचार, उपभोक्ता मामले, खा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय उपभोक्ता मामले विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली को पत्र संख्या-22(2)/2014पब, दिनांक 24.03.2015 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
5- आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, लखनऊ।
9- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7
11- खाद्य एवं रसद अनुभाग-3/उपभोक्ता संरक्षण बांट माप अनु0-2
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वेद प्रकाश शर्मा)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in